

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक : प.1(क)(कार्या.अधी.)(वरि.)/आर.एम.एस./डीएलबी/05/ 5526 दिनांक : 7-4-16
आदेश

राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम, 1963 के नियम 28 एवं कार्मिक विभाग के आदेश संख्या प.7(3)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 11.09.11 एवं अ.शा.टीप सं. 4(1)कार्मिक/क-2/अ.प्र./2008 दिनांक 12.09.12 की पालना में कार्यालय अधीक्षक पद की अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.16 की स्थिति को दर्शाते हुए निम्नानुसार जारी की जाती है। इस संबंध में किसी अधिकारी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी लिखित आपत्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र. सं.	नाम अधिकारी	जन्म तिथि	नियुक्ति दिनांक	स्थाईकरण दिनांक	योग्यता	विशेष विवरण
01.	श्री विजय सिंह चौहान, न.नि. जयपुर	18.09.57	11.11.97	03.12.02	हायर सैकण्ड्री	
02.	श्री उम्मेद सिंह, न. नि. जयपुर	23.11.56	03.12.07	03.12.07	एम.ए.	से.नि.दि. 30.11.16
03.	श्री गोपाल सिंह राठौड, न. प. राजसमन्द	05.07.59	16.08.13	16.08.13	स्नातक, एल. एस.जी.डी. एवं कर निर्धारक कोर्स	
04.	श्री सार्दुल सिंह, न. प. हनुमानगढ़	18.06.56	01.04.14	01.04.14	सैकण्ड्री	से.नि.दि. 30.06.16

(पुरुषोत्तम बियाणी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : प.1(क)(कार्या.अधी.)(वरि.)/आर.एम.एस./डीएलबी/05/ 5527-5727 दिनांक : 7-4-16
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
01. आयुक्त/अधिक्षापी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त को भेजकर लेख है कि आपकी नगर निकाय में यदि कोई स्थाई कार्यालय अधीक्षक कार्यरत है एवं उपरोक्त सूची में उसका नाम नहीं है, तो कृपया उक्त कार्मिक की निर्धारित प्रपत्र में सूचना तैयार कर कार्यालय अधीक्षक के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति एवं स्थाईकरण के आदेश की प्रति के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों व सेवापुस्तिका की प्रमाणित फोटो प्रति अविलम्ब भिजवावें, ताकि प्राप्त दस्तावेजों के परीक्षणोपरान्त उक्त कार्मिक का नाम जारी की जाने वाली वरिष्ठता सूची में अंकित किया जा सके।
04. श्री कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम/परिषद.....।
05. निजी/सुरक्षित पत्रावली।

(संधिता बिश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक